संख्या- 576/83-2024

प्रेषक,

मनोज कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग लखनऊ: दिनांक 10 जुलाई, 2025

विषय: नवसृजित 60 नागरिक सुरक्षा जनपदों में विभाग के कार्य संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय आय-व्ययक के विभिन्न मदों में पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-931/अनु-2/बजट-35/2025, दिनांक 18.06.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 'अनुदान संख्या-27 लेखा शीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं-106-सिविल रक्षा-05-प्रभागीय तथा जिला मुख्यालय (25% भा०स० द्वारा प्रतिपूर्ति) 0501-सामान्य-01 (वेतन) के मानक मद के अन्तर्गत संभावित बचतों से 'अनुदान संख्या-27 लेखा शीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं-106-सिविल रक्षा-03-राज्य मुख्यालय स्थापना-0302-भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत-58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान एवं 'अनुदान संख्या-27 लेखा शीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं-106-सिविल रक्षा-05-प्रभागीय तथा जिला मुख्यालय (25% भा०स० द्वारा प्रतिपूर्ति) 0501-सामान्य-02-मजदूरी, 08-कार्यालय व्यय, 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई, 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, 13-टेलीफोन पर व्यय, 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद, 17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व, 42-अन्य व्यय, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय, 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय' के मानक मद में संलग्न बी०एम०-09 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से कुल रू0 5,84,40,000/- (रूपये पांच करोड़ चौरासी लाख चालीस हजार मात्र) व्यय किये जाने स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) आप द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।
(2) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। उक्त धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में निदेशक, नागरिक सुरक्षा समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व निदेशक का होगा ।
(3) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा ।
(4) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार धनराशि आहरित कर व्यय की जायेगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय ।

3- उक्त पर होने वाला व्यय संलग्न बी०एम०-09 के विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की आर०ई०संख्या-बजट-1-19 दिनांक 04.07.2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है ।

संलग्नक- बी०एम०-09

भवदीय,
मनोज कुमार राय
विशेष सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय/ऑडिट, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन। (03 प्रतियों में) ।
7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
जय सिंह
अनु सचिव ।

http://shas

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी०एम०-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

वित्तीय वर्ष 2025-26

अनुदान संख्या व विभाग-27-नागरिक सुरक्षा विभाग

(लाख रूपये में)

निम्नलिखित से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने की दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने की दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं-106-सिविल रक्षा-05-प्रभागीय तथा जिला मुख्यालय (25% भा०स० द्वारा प्रतिपूर्ति) 0501-सामान्य					
01 वेतन	1433.50	785.50	584.40	584.40	849.10
योग---	**1433.50**	**785.50**	**584.40**	**584.40**	**849.10**

निम्नलिखित में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमित हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं-106-सिविल रक्षा-03-राज्य मुख्यालय स्थापना-0302- भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत-**58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान**	175.00	434.20	259.20	259.20	434.20
योग-	**175.00**	**434.20**	**259.20**	**259.20**	**434.20**
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं-106-सिविल रक्षा-05-प्रभागीय तथा जिला					

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मुख्यालय (25% भा०स० द्वारा प्रतिपूर्ति) 0501-सामान्य					
02 मजदूरी	6.00	13.20	7.20	7.20	13.20
08 कार्यालय व्यय	15.00	22.20	7.20	7.20	22.20
11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	8.00	11.60	3.60	3.60	11.60
12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00	70.00	60.00	60.00	70.00
13 टेलीफोन पर व्यय	5.00	7.40	2.40	2.40	7.40
15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20.00	147.20	127.20	127.20	147.20
17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	8.00	44.00	36.00	36.00	44.00
42 अन्य व्यय	3.00	12.60	9.60	9.60	12.60
44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	15.00	27.00	12.00	12.00	27.00
46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	5.00	65	60	60	65
योग	**95.00**	**420.20**	**325.20**	**325.20**	**420.20**
महायोग	**270.00**	**854.40**	**584.40**	**584.40**	**854.40**

1- स्तम्भ-3 में बचत का कारण-अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों के कारण ।
2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय का कारण-नवसृजित 60 नागरिक सुरक्षा जनपदों में विभाग के कार्य संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुपूरक बजट का प्राविधान होने के पूर्व माह जुलाई, 2025 से अक्टूबर, 2025 तक विभिन्न मदों में आवश्यकता के दृष्टिगत ।
3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्विनियोग में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

आर०ई०संख्या-बजट-1-19 दिनांक 04.07.2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ०प्र०, प्रयागराज ।

मनोज कुमार राय
विशेष सचिव ।

सत्य प्रकाश सिंह
उप सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय/ऑडिट, उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

3- निदेशक, नागरिक सुरक्षा, उ०प्र०, लखनऊ ।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन ।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन । (03 प्रतियों में) ।

8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
जय सिंह
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।